रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 9, 1981 (वैशाख 19, 1903)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9, 1981 (VAISAKHA 19, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

स्थानीय प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जनवरी 1980

सं० आर० 20/पी० सी० एफ०/61:—

सूचना

1. श्री वी० के० अग्निहोत्री, अधिकारी श्रेणी-1 ने 16-8-79 को अन्सारी नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का कार्यभार संभाला।

2. श्री एस० नाग, अधिकारी श्रेणी-1 ने 27-8-79 को अन्सारी नगर शाखा में लेखापाल का कार्यभार संभाला।

3. श्री आई० एस० आलूवालिया, अधिकारी श्रेणी-1 ने 21-5-79 को चन्द्रलोक बिल्डिंग शाखा में शाखा प्रबन्धक का कार्यभार संभाला।

4. श्री ललित विशिष्ट स्टाफ अधिकारी श्रेणी-3 ने 27-8-79 को सैन्ट्रल सैक्रीट्रियेट शाखा में शाखा प्रबन्धक का कार्यभार संभाला।

5. श्री टी० आर० जैरथ, अधिकारी श्रेणी-1 ने 8-7-79 को डिफैन्स कालोनी शाखा में लेखापाल का कार्यभार संभाला।

6. श्री के० के० मेहता, अधिकारी श्रेणी-1 ने 16-10-79 को दिल्ली कैन्ट शाखा में प्रबन्धक (लेखा) का कार्यभार संभाला।

7. श्री एस० सी० खोसला, अधिकारी श्रेणी-1 ने 16-8-79 को फ्रैन्डस कालोनी शाखा में शाखा प्रबन्धक का कार्यभार संभाला।

8. श्री टी० आर० गुरेजा, अधिकारी श्रेणी-1 ने 27-11-79 को फ्रैन्डस कालोनी शाखा में लेखापाल का कार्यभार संभाला।

9. श्री एच० जे० बन्झानी, अधिकारी श्रेणी-1 ने 16-8-79 को हरि नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का कार्यभार संभाला।

10. श्री एस० पी० वैद्य, अधिकारी श्रेणी-1 ने 7-8-79 को आई० पी० एस्टेट शाखा में लेखापाल का कार्यभार संभाला।

11. श्री वी० के० चोपड़ा, अधिकारी श्रेणी-1 ने 28-6-79 को जंगपुरा शाखा में कार्यवाहक प्रबन्धक (वैयक्तिक) का कार्यभार संभाला।

12. श्री गुलशन कुमार अधिकारी श्रेणी-1 ने 5-9-79 को जनकपुरी शाखा में शाखा प्रबन्धक का कार्यभार संभाला।

दिल्ली नगर कला आयोग

नई दिल्ली,-110003, दिनांक 22 अप्रैल 1981

सं० 1/1/76-डी० यू० ए० सी०—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम 1973 (1974 का 1) की धारा 9 की उपधारा (3) धारा 27 की धारा (ग) के साथ पठित के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली नगर कला आयोग, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि विनियमन 1980 में निम्नलिखित संशोधन करता है; नामतः

1. (i) ये विनियमन, दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियमन 1981 कहलायेंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि विनियमन 1980 के विनियमन 24 में उप विनियमन (2) के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा; नामतः

"(2) यदि कोई सदस्य सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की इस घोषणा कि वह और आगे सेवा के लिये अनउपयुक्त है या पद के समाप्त या कटौती करने पर सेवा आरम्भ से 5 वर्षों में आयोग की सेवा को छोड़ता है तो आयोग द्वारा किया गया पूरा अंशदान की राशि और उस पर ब्याज को काटकर आयोग को वापिस लौटाया जायेगा"।

पृथ्वी पाल सिंह
प्रशासनिक अधिकारी

निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारन्टी निगम

बम्बई-400007, दिनांक 19 मार्च 1981

सं० बी० एस०/1138/17-81—निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारन्टी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 13 के अनुसरण में निगम के बोर्ड ने निम्नलिखित पदों पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को निगम के लिये तथा निगम की ओर से निम्नलिखित अधिकारों के प्रयोग के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 1981 से प्राधिकृत किया है:

1. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/प्रबन्धक/
मुख्य लेखाकार /उप प्रबन्धक

निगम के नाम या निगम द्वारा धारित प्रोमिसरी नोट, स्टाक रसीद, स्टाक ऋणपत्र, प्रतिभूतियां और माल पर हक सम्बन्धी दस्तावेजों का परांकन और अन्तरण; निगम के वर्तमान तथा प्राधिकृत कारोबार में विनिमय बिल और अन्य प्रपत्रों का आहरण, स्वीकरण तथा परांकन और इस प्रकार के कारोबार से सम्बद्ध सभी लेखे, रसीदों तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. लेखाकार और सहायक लेखाकार

निगम के वर्तमान और प्राधिकृत कारोबार से सम्बद्ध सभी लेखे, रसीदों, दस्तावेजों और पत्राचार पर हस्ताक्षर करना।

एम० वी० हाटे,
निदेशक

छावनी बोर्ड

देहू रोड छावनी, दिनांक 1 अप्रैल 1981

सं० एस० आर० ओ० सी० बी० डी० आर०/डब्ल्यू० बी एल० 1—क्योंकि छावनी, देहूरोड में स्थित जलपूर्ति अधिष्ठान से जलपूर्ति और जल के उपयोग से सम्बन्धित मामलों और बातों तथा उसमें से बोर्ड जिस रीत्या नल जोड़ेगा, उस रीति का विनियमन करने के लिये कतिपय उप-विधियों का प्रारुप छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 284 द्वारा यथापेक्षित सूचना के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के अवसान पर्यन्त आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु छावनी बोर्ड की सूचना सं० सी० डी० डी० आर० डब्ल्यू० बी० एल०, दिनांकित 6/7 अप्रैल, 1980 के सार प्रकाशित किया गया था,

और क्योंकि देहूरोड छावनी के सूचना पट पर 7 अप्रैल, 1980 को उक्त सूचना लगाई गई थी;

और क्योंकि छावनी बोर्ड को लोगों से उक्त अवधि के पूर्व आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और क्योंकि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 284 की उप धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उप-विधियों के उक्त प्रारूप का सम्यक्तया अनुमोदन किया है एवं उसकी पुष्टि की है;

इसलिये अब, उक्त अधिनियम की धारा 282 के खण्ड (32), (33) तथा (34) तथा धारा 283 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छावनी बोर्ड, देहूरोड, एतद्द्वारा निम्न उपविधियां बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण: (1) ये उपविधियां देहूरोड छावनी (जल पूर्ति) उप विधियां, 1980 कहलायें।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगी।

2. परिभाषायें: इन उप-विधियों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा न्यपीक्षित न हो:—

(क) 'बोर्ड' का तात्पर्य छावनी बोर्ड, देहूरोड, से है।

(ख) 'वाणिज्यिक जलपूर्ति हेतु नल जोड़ना' का तात्पर्य घरेलू तथा गैर-घरेलू प्रयोजनों से अन्य प्रयोजनों के लिये, जैसे कि जलपानगृह, होटल, फैक्टरी, सिनेमागृह, पैट्रोल पम्प, रेलवे प्रशासन तथा अन्य केन्द्र/राज्य सरकार विभागों में जलपूर्ति हेतु नल जोड़ने तथा तदनुरूप अन्य नल जोड़ने से है;

(ग) 'उपभोक्ता' का तात्पर्य किसी फर्म/संस्थान के किसी व्यक्ति या प्रबन्धक से है, जो कि घरेलू, गैर-घरेलू या वाणिज्यिक उपयोगार्थ बोर्ड से जलपूर्ति हेतु नल लेता है;

(घ) 'वितरण पाइप' में बोर्ड के क्षेत्राधिकार के भीतर जलपूर्ति प्रयोजनार्थ उसके नियंत्रणाधीन कोई भी जबप्रभाल सम्मिलित है;

8. Shri Hazari Lal Sharma, Secreitary, INTUC, Rajasthan Branch, M.I. Road, Jaipur.	Employees representative
9. Shri K. Viswanathan, Swami Kumaranand Samark Samiti, Near Shalimar Talkies, Jaipur.	Employees additional representative
10. Shri R. S. Nirmal, General Secretary, Rajasthan H.M.S. State Council, Samata Sadan, Chaura Rasta, Jaipur-3.	Employees additional representative
11. The Secretary to the Government of Rajasthan, Labour Department.	Ex-officio member
12. The Regional Deputy Medical Commissioner, E.S.I. Corporation, Northern Zone.	Do.
13. The Regional Director E.S.I. Corporation, Rajasthan Region.	Member Secretary.

HAR MANDER SINGH,
Director Genl.

GUJARAT REGIONAL OFFICE

Ahmedabad-14, the 24th April 1981

No. G/ADM/229(Consti)/79.—In the Notification of even No. 28-2-80 published at page 1270 of the Gazette of India No. 15 part III, Section IV dated 12-4-1980, at Sl. No. 4, the name of "Shri P. D. Panchotia, Factory Manager, The Maharana Mills Ltd., P.B. No. 11, Porbandar : 360 576" may be substituted in place of "Dr. O. P. Pahuja, General Manager, The Maharana Mills Ltd., P.B. No. 11, Porbandar : 360 575" as Employers' Representative. The resignation tendered by Dr. O. P. Pahuja from Local Committee Porbandar, has been accepted by the Chairman, Regional Board, E.S.I. Corporation, Gujarat.

By Order
G. D. TEWARI,
Regional Director &
Secretary, Gujarat Regional Board,
E. S. I. Corporation, Ahmedabad-380014.

DELHI URBAN ART COMMISSION

New Delhi-110003, the 22nd April 1981

No. 1(1)/76-DUAC.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 27 read with sub-section (3) of section 9 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973, (1 of 1974), the Delhi Urban Art Commission, with the previous approval of the Central Government, makes the following amendments to the Delhi Urban Art Commission Employees' Contributory Provident Fund Regulations, 1980, namely :—

1. (i) These regulations may be called the Delhi Urban Art Commission Employees' Contributory Provident Fund (Amendment) Regulations, 1981;

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Urban Art Commission Employees' Contributory Provident Fund Regulations, 1980, in regulation 24, for sub-regulation (2), the following shall be substituted namely :—

"(2) If a member quits the service of the Commission within 5 years of the commencement of his service otherwise than by superannuation or a declaration by a competent medical authority that he is unfit for further service or on the abolition or reduction of the post, the amount representing the entire contribution made by the Commission along with interest thereon shall be deducted and repaid to the Commission".

PRITHVI PAL SINGH,
Administrative Officer.

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

Bombay-400 007, the 16th March 1981

No. BS/1138/17-81.—In pursuance of Regulation 13 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961, the Board of the Corporation have authorised the incumbents of the undernoted appointments to exercise the following powers for and on behalf of the Corporation with effect from 1st April 1981.

I. GENERAL MANAGER/DEPUTY GENERAL MANAGERS/MANAGERS/CHIEF ACCOUNTANT/DEPUTY MANAGERS

To endorse and transfer promissory notes, stock-receipts, stock debentures, shares, securities and documents of title to goods, standing in the name of or held by the Corporation, and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in the current and authorised business of the Corporation and to sign all other accounts, receipts and documents connected with such business.

II. ACCOUNTANTS AND ASSISTANT ACCOUNTANTS

To sign all accounts, receipts, documents and correspondence connected with the current and authorised business of the Corporation.

M. V. HATE,
Director

INDIAN AIRLINES

In exercise of powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 45 of the Air Corporations Act 1953 (27 of 1953), the Indian Airline, hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following regulations further to amend the Indian Airlines (Aircraft Engineering Department) Service Regulations, 1959, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Airlines (Aircraft Engnneering Department) Service (Amendment) Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publi- cation in the official Gazette.

2. In the Indian Airlines (Aircraft Engineering Department) Service Regulations, 1959, for regulation 132, the following regulation shall be substituted, namely :

REGULATION 132

Any employee suffering from,—

(a) Tuberculosis

(b) Leprosy

(c) Cancer

(d) Organic heart diseases requiring hospitalisation and or prolonged rest in bed.

(e) Paralysis of vascular, infective or degenerative origin affecting one or more limbs (minor paralysis like ball's palsy is not included in this category)

(f) Significant mental illness treated in a Government Mental Hospital (in such cases, a certificate from the Hospital Superintendent or any other competent authority of a Government Mental Hospital empowered to issue such a certificate will be accepted by the Corporation, subject to the approval of the same by the Medical Officer of the Corporations).

(g) On the recommendations of the Medical Officer of the Corporation, special sick leave may also be granted in cases where the employee is suffering from the following diseases or aliments or injury requiring hospitalisation or prolonged rest in bed.

(i) ranal (kidney) failure

(ii) hepatic (liver) failure

(iii) chronic cor pulmonale

(iv) empyema thoracis

(v) collagen diseases—

(1) systemicolupus erythematosus

रजिस्ट्री सं० डी०—(डीएन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1986 (आषाढ़ 28, 1908)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1986 (ASADHA 28, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक
(स्थानीय प्रधान कार्यालय)
नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 1986

सूचना

सं० जी० एम० ओ०/8832—श्री बी० के० बिश्वास, वरिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी स्केल-5 ने दिनांक 16 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली, मुख्य शाखा में मुख्य प्रबन्धक का कार्यभार संभाला।

बी० भट्टाचार्य,
मुख्य महा प्रबन्धक

(केन्द्रीय कार्यालय)
बम्बई, दिनांक 17 मई 1986

सं० ए० डी० एम०/32493—बैंक के स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री एस० डी० वाडिवकर, अधिकारी वरिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी-5 ने दिनांक 8 मई, 1986 से मुख्य प्रबन्धक (सामान्य बैंकिंग), अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय का पदभार संभाल लिया है।

दिनांक 27 मई, 1986

सं० ए० डी० एम०/32493—बैंक स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना की जाती है :—

श्री एम० मंडल, अधिकारी, उच्च कार्यपालक श्रेणी-7 ने, दिनांक 9 मई, 1986 से प्राचार्य, स्टेट बैंक स्टाफ कालेज, हैदराबाद का पदभार संभाल लिया है।

सं० ए० डी० एम०/32493—बैंक के स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना की जाती है :—

श्री के० आर० महेश्वरी, अधिकारी, उच्च कार्यपालक श्रेणी-6 ने 3 मई, 1986 को, कारोबार की समाप्ति पर महाप्रबन्धक (समुद्रपारीय परिचालन) का कार्यभार संभाल लिया है।

सी० आर० विजराघवन
मुख्य महाप्रबन्धक
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास)

2. सचिव,
उड़ीसा सरकार, — उपाध्यक्ष
श्रम एवं रोजगार विभाग

3. श्रम आयुक्त,
उड़ीसा सरकार — सदस्य

4. निदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उड़ीसा सरकार — कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सीधे प्रभारी अधिकारी पदेन सदस्य

5. क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम;
दक्षिण पूर्वी जोन, भुवनेश्वर — पदेन सदस्य

6. श्री विश्वानाथ सत्पथि,
निदेशक (तकनीकी);
उड़ीसा राज्य प्रैस, मधु पटना, कटक — नियोजकों के प्रतिनिधि

7. श्री बी० के० मिश्रा,
कार्मिक प्रबन्धक, नालको इपीकोल हाउस, भुवनेश्वर — नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि

8. श्री पी० के० दास,
मुख्य कार्मिक प्रबन्धक;
राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला — नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि

9. श्री एम० एल० चान्द,
महाप्रबन्धक,
उड़ीसा सीमेण्ट लि०, राजगंगपुर — नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि

10. श्री रामचन्द्र खुंटिया,
विधान सभा सदस्य तथा संयोजक
कांग्रेस (ई) श्रम कक्ष यूनिट–4, भुवनेश्वर — कर्मचारियों के प्रतिनिधि

11. श्री सरोज कुमार मित्रा,
प्रैसीडेण्ट, राज्य यूनिट,
डी० एम० एस०,
जौनलिया पट्टी, कटक — कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि

12. श्री के० सी० पत्रा,
जनरल सैक्रेटरी, एच० एम० एस०,
उरिया बाजार, कटक — —वही—

13. श्री दुर्गाचरण महन्ती,
सचिव, राज्य यूनिट,
ए० आई० टी० यू० सी० बादामबाडी,
कटक — —वही—

14. क्षेत्रीय निदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
उड़ीसा क्षेत्र, भुवनेश्वर — सदस्य सचिव

कमलेशचन्द्र शर्मा
महानिदेशक

दिल्ली नागरी कला आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1986

सं० 1(1)/76–दि० ना० क० आ०-सा० का० नि०—दिल्ली नागरी कला आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम 1973 (1974 का 1) की धारा 9 की उपधारा (3) के साथ पठित, धारा 27 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली नागरी कला आयोग कर्मचारी अभिदायी भविष्य-निधि विनियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम दिल्ली नागरी कला आयोग कर्मचारी अभिदायी भविष्य-निधि (संशोधन) विनियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली नागरी कला आयोग कर्मचारी अभिदायी भविष्य-निधि विनियम, 1980 में,—

(i) विनियम 9 के उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"(i) आयोग का प्रत्येक कर्मचारी, उसकी नियमित नियुक्ति होते ही, निधि का सदस्य बनने का हकदार होगा।

टिप्पण :—ऊपर उल्लिखित "नियमित नियुक्ति" से परसेवा और समयबद्ध/तदर्थ/संविदा सेवा से भिन्न नियुक्ति अभिप्रेत है।";

(ii) विनियम 15 के उप विनियम (1) में,—

(क) खण्ड (क) के उपखण्ड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(viii) अपने निवास स्थान के लिए भू-खण्ड की लागत या मकान या फ्लैट के निर्माण का खर्च वहन करने के लिए या दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी राज्य आवासन बोर्ड या राज्य भवन सहकारी सोसायटी द्वारा भू-खण्ड या फ्लैट के आवंटन मद्दे किसी संदाय के लिए;";

(ख) खण्ड (ख) को उसके उपखण्ड (i) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (ख) (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ii) बोर्ड, विशेष परिस्थितियों में, किसी सदस्य को ऋण की मंजूरी दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित सदस्य को ऋण की आवश्यकता ऊपर उप-विनियम (i) (क) में उल्लिखित से भिन्न किसी कारण से है।

(iii) बोर्ड विशेष कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऊपर विनियम (1) में अधिकथित सीमा से अधिक ऋण या किसी पूर्व ऋण की अन्तिम किस्त का प्रतिसंदाय पूरा होने के पूर्व ऋण की मंजूरी इस शर्त के अधीन रहते हुए दे सकता है कि वसूल न किए गए किसी पूर्व ऋण का अतिशेष इस प्रकार मंजूर किए गए ऋण में जोड़ दिया जाएगा और वसूली के लिए किस्तें इस प्रकार समेकित रकम के प्रति निर्देश से नियत की जाएंगी :

परन्तु ऐसा ऋण किसी भी दशा में निधि में मंजूरी की तारीख को सदस्य के जमा खाते अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम के अतिशेष से अधिक नहीं होगा।"

(iii) विनियम 18 के उप विनियम (i) के खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) सदस्य ने सेवा के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं या वह अगले 10 वर्ष के भीतर अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाला है;";

(iv) विनियम 21 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"21क. निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम:—

सदस्य की मृत्यु पर सदस्य के नाम में जमा रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को सदस्य की मृत्यु के ठीक पूर्व तीन वर्षों के दौरान लेखा में जमा खाते अभिदाय और उस पर ब्याज की औसत रकम के समतुल्य अतिरिक्त रकम का संदाय इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि,—

(क) मृत्यु के माह के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय ऐसे सदस्य के जमा खाते अतिशेष निम्नलिखित सीमा से कम नहीं हुआ है, अर्थात् :—

(i) ऐसे सदस्य की दशा में जितने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि में से अधिकांश समय, अर्थात 18 मास से अधिक तक, ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 1300 रुपए या अधिक है, 4000 रुपए;

(ii) ऐसे सदस्य की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि में से अधिकांश समय, अर्थात् 18 मास से अधिक तक, ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 900 रुपए या उससे अधिक किन्तु 1300 रुपए से कम है, 2500 रुपए;

(iii) ऐसे सदस्य की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि में से अधिकांश समय, अर्थात् 18 मास से अधिक तक, ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 291 रुपए या अधिक किन्तु 900 रुपए से कम है, 1500 रुपए;

(iv) ऐसे सदस्य की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि में से अधिकांश समय, अर्थात् 18 मास से अधिक तक, ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 291 रुपए से कम है, 1000 रुपए;

(ख) इस विनियम के अधीन देय अतिरिक्त रकम 10,000 रुपए से अधिक नहीं होगी;

(ग) सदस्य ने अपनी मृत्यु के समय तक कम से कम 5 वर्ष सेवा की है।

टिप्पणी 1—औसत अतिशेष की गणना उस मास के, जिसमें मृत्यु होती है पूर्ववर्ती 36 मासों में से प्रत्येक मास के अन्त पर सदस्य के नाम जमा अतिशेष के आधार पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए और ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के लिए भी,—

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष में विनियम 13 के अनुसार जमा खाते वार्षिक ब्याज सम्मिलित होगी; और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मासों का अन्तिम मास मार्च नहीं है तो उक्त अन्तिम मास के अन्त में अतिशेष में उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से, जिसमें मृत्यु होती है, उक्त अन्तिम मास के अन्त तक की अवधि की बाबत ब्याज सम्मिलित होगी।

टिप्पणी 2—इस स्कीम के अधीन संदाय पूर्ण रुपयों में किया जाना चाहिए। यदि देय रकम में रुपए का कोई अंश है तो वह निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए (50 पैसे की गणना अगले उच्चतर रुपए के रूप में की जाएगी)।

टिप्पणी 3—इस स्कीम के अधीन देय कोई रकम बीमा राशि के रूप में है और इसके कारण भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम) की धारा 3 में दिया गया, कानूनी परित्राण इस स्कीम के अधीन देय राशियों को लागू नहीं होता है।

टिप्पणी 4—

(क) सावधि आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की दशा में और पुनः नियोजित पेंशन भोगियों की दशा में ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियोजन की तारीख से की गयी सेवा ही इस विनियम के प्रयोजनों के लिए गणना में ली जाएगी।

(ख) यह स्कीम संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को लागू नहीं होती।

टिप्पणी 5—इस स्कीम की बाबत व्यय के बजट प्राक्कलन उस प्रशासनिक अधिकारी द्वारा तयार किए जाएंगे जो व्यय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निधि के लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी है और उसी रूप में तैयार किए जाएंगे जैसे अन्य सेवा निवृत्ति फायदों के लिए प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

स्पष्टीकरण—ऊपर के विनियम में 'अतिशेष' और 'औसत अतिशेष' पदों से केवल कर्मचारी के अभिदाय और उन पर ब्याज अभिप्रेत है।"

आर० के० गोयल
सचिव, दिल्ली नागरी कला आयोग

(11) Shri Saroj Kumar Mitra, President, State Unit of D. M. S., Jaunliapatty Cuttack.	Employees, a dditional representative.
(12) Shri K. C. Patra, General Secretary, H. M. S., Oriya Bazar, Cuttack.	Do.
(13) Shri Durga Charan Mohanty, Secretary, State Unit of AITUC, Badambadi, Cuttack.	Do.
(14) Regional Director, ESI Corporation, Orissa Region, Bhubaneswar.	Member-Secretary

K. C. SHARMA, Dir. Gen.

DELHI URBAN ART COMMISSION

New Delhi, the 15th July 1986

No. 1(1)/76-DUAC.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 27, read with sub-section (3) of section 9 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Delhi Urban Art Commission, with the previous approval of the Central Government, makes the following regulations further to amend the Delhi Urban Art Commission Employees Contributory Provident Fund Regulations, 1980, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Delhi Urban Art Commission Employees Contributory Provident Fund (Amendment) Regulations, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Urban Art Commission Employees Contributory Provident Fund Regulations, 1980,

(i) For sub-regulation (1), of regulation 9, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(1) Every employee of the Commission, immediately on his regular appointment shall be entitled to become a Member of the Fund.
Note : 'regular appointment' mentioned above means appointment other than on foreign service and time bound/ad-hoc/contract service."

(ii) In sub-regulation (1) of regulation 15,

(a) after sub-clause (vii) of clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(viii) to meet the cost of plot or construction of a house or flat for his residence or to make any payment towards the allotment of a plot or flat by Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society";

(b) clause (b) shall be renumbered as sub-clause (b) (i) thereof and after clause (b) (i), as so re-numbered, the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(ii) The Board may, in special circustances, sanction an advance to a member, if the Board is satisfied that the member concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-regulation (1) (a) above.

(iii) The Board may for special reason to be recorded in writing, sanction an advance in excess of the limit laid down in sub-regulation (1), or before repayment of last instalment of any previous advance is completed, subject to the condition that the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount :

Provided that the advance shall in no case exceed the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the member in the Fund on the date of sanction";

(3) For clause (ii) of sub-regulation (1) of regulation 18 the following shall be substituted, namely :—

"(ii) The member shall have completed fifteen years of service or is due to retire on superannuation within the next ten years";

(4) after regulation 21, the following regulation shall be added, namely :—

"21A. Deposit linked insurance scheme :—

On the death of a member, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the member shall be paid an additional amount equal to the average amount of the subscription and interest thereon at the credit in the account during the three years immediately preceding the death of the member subject to the condition that,

(a) the balance at the credit of such member shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limit of :—

(i) Rs. 4,000.00 in the case of member who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years i.e. more than 18 months, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1,300/- or more;

(ii) Rs. 2,500.00 in the case of a member who has held for the greater part of the aforesaid period of three years i.e. more than 18 months, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 900/- or more but less than Rs. 1,300/-;

(iii) Rs. 1,500.00 in the case of a member who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years i.e. more than 18 months, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 291/- or more but less than Rs. 900/-;

(iv) Rs. 1,000.00 in the case of a member who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years i.e. more than 18 months, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 291/-;

(b) The additional amount payable under this regulation shall not exceed Rs. 10,000.00.

(c) The member has put in at least five years service at the time of his death.

NOTE 1 : The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the member at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed above—

(a) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of Regulation 13; and

(b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

NOTE 2 : Payments under this scheme should be in whole rupees. If an amount due includes a fraction of

a rupee, it should be rounded to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

NOTE 3 : Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and, therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Fund Act, 1925 (Act of 1925), does not apply to sums payable under this scheme.

NOTE 4 : (a) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment or re-employment, as the case may be, only will count for purposes of this regulation.

(b) This scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

NOTE 5 : The budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Administrative Officer responsible for maintenance of the accounts of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

Explanation : The expressions 'balance' and 'average balance' in the above regulation mean only the employee's subscription and interest thereon.

R. K. GOEL,
Secretary
Delhi Urban Art Commission

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986